न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 438 सन 2019
अनवान :—

1. इकबाल सिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
2. कुलविन्द्र सिह पुत्र करतारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. सुखदेव कौर पत्नी करतारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. अमरजीत कोर पत्नी बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
4. जसनप्रीत पुत्र बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. छगनसिह पुत्र बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. सुमरजीत कौर पुत्री गुरूदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
7. सन्दीप कौर पुत्री गुरूदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 26/9/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 2 के मु0न0 56 के किला न0 5, 6/0.506हैक , मु0न0 57 के किला न0 1 ता 17 प्रत्येक 0.2530हैक कुल किता 19 की कुल 4.807हैक भूमि स्थित है जिसके करतारसिह , गुरूदेवसिह पि0 जगीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम की कुल 4.807हैक भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी एव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के आदेशानुसार उक्त रकबा तहसील नोहर में जोडा गया था उक्त रकबा पूर्व में तहसील भादरा में शामिल किया गया था वहा से कम किया जाकर तहसील नोहर में जोडा गया था तथा उक्त रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जाकर खरीददार गुरदेवसिह , करतासिह पि0 जगीरसिह जाति जटसिख को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था।

रोही मोजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468 मु0न0 162/9 के किला न0 5 ,6/0.506हैक व प0न0 412/468मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 7/4.301 कुल 4.807हैक भूमि गुरदेवसिह , करतारसिह पि0 जगीरसिह जाति जटसिख साकिन गोगामेडी की खरीदशुद्वा भूमि थी जो उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि को सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दिया जिससे खरीददार के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है।

करतारसिह पुत्र जगीरसिह फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 है करतारसिह का एक लडका बलविन्द भी फोत हो चुका है जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 है त[illegible] सिह पुत्र जगीरसिह भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी स[illegible] है जो वाद भूमि के विधिक उत्तराधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:03 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुम[illegible]ढ के आदेश अनुसा[illegible]सील भादरा से रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि तहसील नोहर में शामिल की गई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

थी जो वादीगण के पूर्वजों की खरीदशुद्वा भूमि थी जिसे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु अराजीराज दर्ज कर दी जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है जिसे वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के पूर्वजों की खरीदशुद्वा भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी प्रतिवाादी संख्या 2 ता 7 के विरूद्व रिलिफ नही है वादीगण के अनुतोष में इनका अनुतोष शामिल होने के कारण तर्क किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की गई साक्ष्यवादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक पूर्व में तहसीलदार भादरा में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसे करतारसिह , गुरूदेवसिह पि0 जगीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी ने जरिये बैयनामा खरीद किया गया था तत्पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के द्वारा उक्त रकबा को तहसील भा भादरा से कम किया जाकर तहसील नोहर में शामिल किया गया जिसकी पालना में उक्त भूमि को तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज किया जाकर खरीददारों के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि तहसील भादरा से रकबा कम कर तहसील नोहर में सम्बधित खातेदार के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया जाकर अराजीराज दर्ज कर दिया जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादीगण उनके पुर्वजों के द्वारा खरीद की गई भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

करतारसिह पुत्र जगीरसिह फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 है करतारसिह का एक लडका बलविन्द भी फोत हो चुका है जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 है तथा गुरदेवसिह पुत्र जगीरसिह भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6, 7 है जो वाद भूमि के विधिक उतराधिकारी है।

वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने [illegible] के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक का रकबा पूर्व में तहसील भादरा की जमाबन्दी में रामेश्वलाल पुत्र नानकचन्द , सत्यनारायण भीखाराम पि0 गोकलचन्द खातेदार काश्तकार दर्ज था जिससे करतारसिह गुरदेवसिह पि0 जगीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी ने जरिये बैयनामा खरीद किया गया था तथा बैयनामा के अनुसार भूमि का नामान्तकरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये थे।

आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि को तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज नही किया गया ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज किया गया अर्थात उक्त रकबा जमाबन्दीयों से मिसिग हो गया।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने मिसिग रकबा का संक्षान होने पर विस्तृत जांच तहसीलदार भादरा एव तहसीलदार नोहर एव सम्बधित पटवारीयान से करवाई जाने के उपरान्त आदेश एफ 9(14)(3) सर्तकता/मुन्सरी/भू0अ0/06/264–269 दिनांक 21.01.2006 को विस्तृत आदेश पारित किया गया की प्रश्नाकित 98 बीधा मिसिग रकबा जो उपनिवेशन विभाग के समय से ही मिसिग रकबा रहा हे ग्राम गोगामेडी तहसील नोहर के खसरा न0 22/17 से पैमुद हुआ है जो तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम के प0न0 410/468 ,411/468 ,412/468 व चक 6 जीजीएम के प0न0 406/468 में कुल 98.00 बीधा रकबा तहसील भादरा के राजस्व अभिलेख में दर्ज न होते हुए भी तहसील भादरा द्वारा मिलान खसरा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ 98 बीधा अलग से जोडकर आकडे पेश किये जाते रहे है जिससे प्रश्नाकित रकबा 98 बीधा मिसिग रकबा कुल भौगोलिक क्षेत्र के साथ दर्शाया गया है अतः 98 बीधा भूमि को दोनो चकों की जमाबन्दीयों एवं नक्शों को उक्त भूमि को शामिल करते हुए संशोधित किया जावे तथा भविष्य में तहसील भादरा के वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र में 98 बीधा अलग से जोडना न दर्शाया जावे तहसीलदार नोहर इस प्रश्नाकित 98 बीध मिसिग रकबा को उक्त दोनो चकों में शामिल करते भौगोलिक क्षेत्र 98 बीधा अधिक दर्ज किया जावे।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने उक्त आदेश के द्वारा मिसिग रकबा जो ना तो तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज था ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज था उक्त मिसिग रकबा को तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम , चक 6 जीजीएम के प0न0 में शामिल करते हुए जमाबन्दीयों में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि करतारसिह गुरदेवसिह पि0 जगीरसिह की खरीदशुद्वा भूमि थी जिसका नामान्तकरण भी दर्ज खरीददार के पक्ष में हो गया था किन्तु आगामी जमाबन्दीयों में खरीदशुद्वा भूमि किसी भी जमाबन्दी में दर्ज नही की गई थी।

करतारसिह पुत्र जगीरसिह फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 है करतारसिह का एक लडका बलविन्द भी फोत हो चुका है जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 है तथा गुरदेवसिह पुत्र जगीरसिह भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6, 7 है जो वाद भूमि के विधिक उतराधिकारी है जिसके सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही हुआ है।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि करतारसिह गुरदेवसिह पि0 जगीरसिह की खरीदशुद्वा भूमि मिसिग रकबा की श्रेणी में आने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश दिये गये थे में वादीगण के पूर्वजों के द्वारा खरीदशुद्वा रकबा शामिल है जिसे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के आदेशानुसार तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दी में तो शामिल कर लिया गया किन्तु वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया जो न्यायोचित नही है

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ द्वारा मिसिग रकबा को तहसील नोहर के सम्बधित चकों के सम्बधित प0न0 में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे यह अंकित नही किया गया था की सम्बधित काश्तकारों के स्थान पर अराजीराज दर्ज किया जावे जबकि जमाबन्दी से मिसिग रकबा को शामिल करने के आदेश दिये गये थे अर्थात जो रकबा जिसके कब्जा काश्त में एवं जमाबन्दी से मिसिग होने से पूर्व जिसके नाम दर्ज था के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक्‍ भूमि करतारसिह गुरदेवसिह पि0 जगीरसिह के वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रकबा मिसिग होने के कारण वादीगण के पूर्वज जो खरीददार खातेदार काश्तकार थे के नाम दर्ज नही हो सका था वाद भूमि जो वादीगण के पूर्वजों के द्वारा खरीद की गई थी वादीगण के पूर्वज करतारसिह , गुरदेवसिह फोत होने के कारण विधिक वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है मिसिग रकबा जो तहसील नोहर में दर्ज किया गया है वादीगण के पूर्वजों के खरीदशुद्वा है जिसे वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना उचित हैं।

उक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक्‍ भूमि करतारसिह गुरदेवसिह पि0 जगीरसिह की खरीदशुद्वा भूमि जो किसी भी तहसील की जमाबन्दीयों में दर्ज नही हुआ अर्थात रकबा मिसिग रकबा की श्रेणी में आ गया जिसके सम्बध मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल कर अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार नोहर को दायित्व था कि जो रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जा रहा है पर काबिज व्यक्तियों को सुना जाकर एव साक्ष्य सबुत लिये जाकर रकबा सम्बधित काश्तकार के नाम तहसील नोहर की जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था वादीगण के पूर्वज खरीददार र्काश्तकार थे और मौके पर काबिज चले आ रहे है जिनका रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जाकर बेयनामा के अनुसार उनके वारिसान वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था खरीदशुद्वा भूमि जिसे पर वादीगण काबिज भी हे को अराजीराज दर्ज किया जाना उचित नही है वादीगण अपने हकों की धोषणा करवाकर बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के आदेश /निर्णय की पालना में साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी [illegible] शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इकबाल सिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
2 कुलविन्द्र सिह पुत्र करतारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2 सुखदेव कौर पत्नी करतारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3 अमरजीत कोर पत्नी बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
4 जसनप्रीत पुत्र बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5 छगनसिह पुत्र बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6 सुमरजीत कौर पुत्री गुरूदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
7 सन्दीप कौर पुत्री गुरूदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 438 सन 2019 निर्णय दिनांक– 26/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 5 ,6 व प0न0 412/468 मु0न0 162/10 के किला न0 1 ता 17 कुल 4.807हैक भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किंया जावे।व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:03 IST
Reason: SelfAttested